(57)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2214—एक/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 09—06—2016 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 111/अपील/2014—15.

.....

विमला देवी पत्नी धर्मेन्द्र सिंह ठाकुर
निवासी पचौरी का पुरा भिण्ड रोड़
पोरसा जिला मुरैना म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1—राधेश्याम पुत्र पातीराम
2—राकेश 3—रामनारायण
4—अशोक 5—दिवाकर
पुत्रगण मवासीराम
6—रामलाड़ली बेवा मवासीराम
निवासी पचौरी का पुरा भिण्ड रोड़
पोरसा जिला मुरैना म0प्र0

—— असल अनावेदकगण

7—रंजनलाल 8—रामभरोसी
9—राजवीर पुत्रगण दाताराम
10—रामजीलाल पुत्र श्री गजाधर
निवासी पचौरी का पुरा भिण्ड रोड़
पोरसा जिला मुरैना म0प्र0
हाल निवासी हरीछा की गढ़ी तहसील
मेहगांव जिला भिण्ड म0प्र0

—— तरतीवी पक्षकार

.....

श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 06/10/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–06–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील व ग्राम पोरसा में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 1787/1 रकवा 0.194 है0 भूमिस्वामी आवेदकगण एवं अनावेदकगण हैं। प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 1787/1 रकवा 0.194 है0 का बटंवारा किये जाने बावत आवेद पत्र संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत अनावेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/अ–27/2013–14 पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 28.8.2014 से पटवारी मौजा द्वारा प्रस्तुत फर्द बटवारा के आधार पर बटवारा आदेश पारित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित पारित आदेश दिनांक 28.8.14 से परिवेदित होकर आवेदिका विमला देवी पत्नी धर्मेन्द्र सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण क्रमांक 127/अपील/2013–14 पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 1.7.15 से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित बटवारा आदेश निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह जिला मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.7.15 से दुखित होकर अनावेदकगण द्वारा अपील अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.6.2016 द्वारा अपील स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखा तथा अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह जिला मुरैना का आदेश दिनांक 1.7.15 निरस्त किया इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के अधिवक्ता ने अपने निगरानी आवेदन में लिये गये आधारों पर तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा कि जिस भूमि के बंटवारे के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया था वह भूमि व्यपवर्तित भूमि हैं सक्षम अधिकारी के आदेश द्वारा प्रकरण कमांक 35/2006–07/अ–2 में भूमि का व्यपवर्तन स्वीकार किया गया था, व्यपवर्तित भूमि का बंटवारा करने का अधिकार संहिता की धारा–178 के अंतर्गत तहसीलदार/राजस्व न्यायालयों को नहीं है, अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने 2015 राजस्व निर्णय 689 दामोदर विरूद्व विठठ्ल दास का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया । आवेदक के अधिवक्ता ने आगे अपने तर्क में कहा कि आवेदक की ओर से तहसीलदार के समक्ष बंटवारा आवेदन को निरस्त करने के लिये विस्तार से आपत्तियां प्रस्तुत की थी, परंतु तहसीलदार ने उन पर निर्णय न देकर बंटवारा कर दिया था जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी ने कोई गलती नहीं की थी। अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना ने अपने आदेश में आवेदक की प्रमुख आपत्ति का उल्लेख तो अपने आदेश में किया है परंतु उस पर कोई निर्णय नहीं दिया व्यपर्तित भूमि का बंटवारा तहसीलदार द्वारा नहीं किया जा सकता है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क में कहा कि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना ने व्यवहार न्यायालय के जिस प्रकरण को आधार बनाया है वह प्रकरण केवल निर्माण कार्य से संबंधित था । फर्द बंटवारे पर यह टीप अंकित की थी कि फर्द बनाते समय केवल अनावेदक उपस्थित थे ऐसी फर्द के आधार पर तहसीलदार को बंटवारा नहीं करना चाहिये था। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में अनुरोध किया है कि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का आदेश दिनांक 9.6.16 निरस्त कर निगरानी स्वीकार की जावे।

4–अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। व्यपवर्तन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी थी। अपने तर्क में आगे कहा है कि आवेदक को बंटवारे में उसके अधिकार के अनुसार भूमि मिली है यह भी कहा कि व्यवहार न्यायालय ने आवेदक के विरूद्व आदेश दिये है जो राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी हैं।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया गया। आवेदक के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि

भूमि व्यपवर्तित है एवं उन्होंने यह आपत्ति तहसील न्यायालय में दिये गये अपने उत्तर में भी की थी आवेदकों की ओर से दिया गया तर्क अभिलेख से प्रमाणित है। अनावेदकों के अधिवक्ता इस तथ्य का खण्डन नहीं कर सके कि भूमि व्यपर्तित नहीं है। राजस्व मण्डल के न्याय दृष्टांत 2015 राजस्व निर्णय 689 से मैं सहमत होते हुये आवेदकों की यह निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है, विचाराधिकार का प्रश्न महत्वपूर्ण है यदि किसी न्यायालय को उसके समक्षदिये गये आवेदन को सुनने का विचाराधिकार ही नहीं है तब उस न्यायालय का आदेश अवैध है, एवं उसे कायम नहीं रखा जा सकता जहां तक व्यवहार न्यायालय के निर्णय का प्रश्न है, व्यवहार न्यायालय ने अपने निर्णय में निषेद्यज्ञा देते हुये निर्माण कार्य पर रोक लगाई थी, जिसका बंटवारे में प्रकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का प्रकरण कमांक 111/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 9.6.2016 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह जिला मुरैना का प्रकरण कमांक 127/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2015 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। पक्षकार अपने स्वत्व के अनुसार सक्षम न्यायालय में बंटवारे कराने के लिये स्वतंत्र है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर